

## प्रेस नोट

दिनांक- 22.07.2022

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

“मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा कड़ी पैरवी करके छेड़छाड़ व पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 03 वर्ष का कठोर कारावास व 11 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में महिला संबन्धी अपराधों में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में मु0अ0सं0 35/19 धारा 354ख,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मुंशीगंज में अभियुक्त अमृत लाल पुत्र राम प्यारे नि0 भूपतिपुर थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय ए.एस.जे-12 पाक्सो एक्ट सुल्तानपुर द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 11 हजार रूपया के अर्थदंड से दण्डित किया गया एवं धारा 506 भादवि में 03 माह का कारावास एवं 01 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।

### घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादिनी मुकदमा उपरोक्त द्वारा दिनांक 27.03.2019 को समय 15:58 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादिनी के 07 वर्षीय नबालिक पुत्री के साथ अभियुक्त अमृत लाल पुत्र राम प्यारे नि0 भूपतिपुर थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी द्वारा छेड़छाड़ करने कि इस सूचना पर थाना मुंशीगंज पर मु0अ0सं0 35/19 धारा 354ख, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत करके विवेचना उ0नि0 रणजीत सिंह द्वारा की गयी। विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्या ए-51 दिनांक 10.05.2019 को मा0 न्यायालय में प्रेषित की गयी।